Cognitive Thinking: An International Journal of Interdisciplinary Studies
Vol. 2, Issue-2 (April-June, 2026), pp.214-222, ISSN: 3107-5088, www.cognitivethinking.in

व्यापारिक लाभ से सामाजिक न्याय तक: भारतीय बैंकिंग प्रणाली में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं विधिक जवाबदेही का आलोचनात्मक मूल्यांकन

पुनीत कुमार मिश्रा
शोध छात्र, विधि विभाग, मोनाड़ विश्वविद्यालय, हापुड़
डॉ. अमित कुमार
सहायक प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, मोनाड स्कूल ऑफ लॉ, मोनाड़ विश्वविद्यालय, हापुड़

Article: Received: 22/05/2026, Returned: 28/05/2026, Accepted: 04/06/2026, Published:06/06/2026.
D.O.I. https://doi.org/10.5281/zenodo.20570623
© 2026 The Author(s). This is an Open Access article/ Journal distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are properly credited. (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

शोध सार (Abstract)

भारतीय बैंकिंग प्रणाली पारंपरिक रूप से लाभार्जक वित्तीय मध्यस्थता (for-profit financial intermediation) की अवधारणा पर आधारित रही है, किंतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) दिशा-निर्देशों ने इन संस्थानों पर सामाजिक-आर्थिक दायित्व का एक वैधानिक भार सृजित किया है। यह शोध पत्र भारतीय बैंकों में CSR और PSL के विधिक ढांचे, व्यावहारिक निष्पादन और विधिक जवाबदेही का आलोचनात्मक परीक्षण करता है। पत्र में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान व्यवस्था में CSR अधिकतर "कागजी अनुपालन" (paper compliance) तक सीमित रह गया है, जबकि PSL लक्ष्य अक्सर विनियामक बॉक्स-टिकिंग (regulatory box-ticking) का रूप धारण कर लेते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और कंपनी अधिनियम, 2013 के बीच सामंजस्य की कमी, साथ ही न्यायिक हस्तक्षेप की सीमितता, बैंकों की जवाबदेही में गंभीर अंतराल उपस्थित करती है। पत्र में "समावेशी बैंकिंग" (inclusive banking) के मॉडल की वकालत करते हुए, बैंकों की CSR और PSL जिम्मेदारियों को एक समन्वित और सशक्त विधिक ढांचे में लाने के सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे वाणिज्यिक लाभ और सामाजिक न्याय के बीच वास्तविक सामंजस्य स्थापित हो सके।

मुख्य शब्द (Keywords): कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, बैंकिंग विनियमन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, सामाजिक न्याय, विधिक जवाबदेही, कंपनी अधिनियम 2013, RBI दिशा-निर्देश, कागजी अनुपालन, वित्तीय समावेशन, ESG।

1. प्रस्तावना (Introduction)

बैंकिंग संस्थान, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के हों या निजी, पारंपरिक रूप से लाभार्जक व्यावसायिक इकाइयों (for-profit commercial enterprises) के रूप में संचालित रहे हैं, जिनका मुख्य ध्येय शेयरधारकों (shareholders) के हितों की रक्षा करते हुए वित्तीय मध्यस्थता (financial intermediation) के माध्यम से धन का संग्रहण और वितरण करना रहा है।[1] किंतु, आधुनिक कॉर्पोरेट शासन (corporate governance) के परिप्रेक्ष्य में, यह अवधारणा परिवर्तित हुई है कि बैंकों की जिम्मेदारी केवल जमा-कर्ताओं (depositors) और शेयरधारकों तक सीमित नहीं, अपितु व्यापक हितधारकों (stakeholders) — समुदाय, पर्यावरण, वंचित वर्ग और सामाजिक-आर्थिक विकास — तक फैली हुई है।[2] भारतीय बैंकिंग प्रणाली, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, इस "व्यापारिक लाभ" (commercial profit) और "सामाजिक न्याय" (social justice) के बीच के तनाव को निरंतर झेल रही है।

1991 के आर्थिक उदारीकरण (economic liberalization) के पश्चात्, बैंकिंग क्षेत्र में निजीकरण (privatization) और वैश्वीकरण (globalization) की प्रक्रिया तीव्र हुई, जिसने बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा।[3] किंतु 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (global financial crisis) ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल लाभार्जक बैंकिंग मॉडल (profit-centric banking model) सामाजिक-आर्थिक अस्थिरता (socio-economic instability) को जन्म दे सकता है। इसी पृष्ठभूमि में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन CSR को वैधानिक रूप (statutory mandate) प्रदान किया गया, जो बैंकों सहित सभी योग्य कंपनियों पर लागू हुआ।४ साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending — PSL) के दिशा-निर्देश बैंकों पर एक स्वतंत्र विनियामक जिम्मेदारी (regulatory duty) लादते हैं।५

इस शोध पत्र का मुख्य प्रश्न यह है कि क्या भारतीय बैंकिंग प्रणाली में CSR और PSL की वैधानिक जिम्मेदारियाँ वास्तविक सामाजिक परिवर्तन (real social transformation) का साधन हैं, या ये केवल कागजी अनुपालन (paper compliance) और विनियामक बॉक्स-टिकिंग (regulatory box-ticking) तक सीमित हैं? शोध का उद्देश्य बैंकों की CSR और PSL जिम्मेदारियों के विधिक ढांचे, न्यायिक प्रवचन और व्यावहारिक निष्पादन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, साथ ही बैंकों की विधिक जवाबदेही (legal accountability) की खामियों की पहचान करना और सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करना है। शोध की पद्धति द्वितीयक स्रोतों — कानूनी उपाधिनियम, RBI परिपत्रक, न्यायिक निर्णय, वार्षिक रिपोर्ट और अकादमिक टीकाओं — पर आधारित वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक (doctrinal) है। इस पत्र का क्षेत्र भारतीय वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और सूचीबद्ध बैंकों की CSR/PSL जिम्मेदारियों तक सीमित है।

2. विधिक ढांचा: CSR, PSL और बैंकिंग विनियमन (Legal Framework)

2.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII

कंपनी अधिनियम, 2013 भारत में CSR को वैधानिक दायित्व (statutory obligation) का रूप देने वाला प्रथम महत्वपूर्ण उपाधिनियम है। धारा 135(1) के अनुसार, यदि किसी कंपनी की शुद्ध मूल्य (net worth) ₹500 करोड़ या अधिक, या कारोबार (turnover) ₹1000 करोड़ या अधिक, या शुद्ध लाभ (net profit) ₹5 करोड़ या अधिक है, तो उसे एक CSR समिति (CSR Committee) का गठन करना अनिवार्य है।६ इस समिति को न्यूनतम 2% शुद्ध लाभ पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत पर खर्च करना होता है। अनुसूची VII में निर्धारित गतिविधियों में गरीबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंग समानता, पर्यावरण स्थिरता, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय आपदा राहत जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं।७

नियम 4 और 5 के अंतर्गत, कंपनी को CSR नीति का निर्माण (formulation) और उसके कार्यान्वयन (implementation) का दायित्व है, जबकि नियम 8 में खर्च के प्रमाणीकरण (impact assessment) की अपेक्षा की गई है।८ 2021 के संशोधन (Companies (CSR Policy) Amendment Rules, 2021) ने CSR को "अनुपालन" (compliance) से "जवाबदेही" (accountability) की ओर ले जाने का प्रयास किया, जिसमें "ongoing projects" की अवधारणा का समावेश किया गया और अप्रयुक्त राशि (unspent amount) के उपयोग को सशर्त बनाया गया।९ सूचीबद्ध बैंकों (listed banks) और बड़े सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों पर धारा 135 का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, किंतु इन गतिविधियों का बैंकिंग मॉडल (core banking model) से पृथक् रहना एक व्यावहारिक दुविधा उपस्थित करता है।

2.2 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 भारतीय बैंकों के संचालन और नियमन का प्रधान उपाधिनियम है। धारा 5(c) में "बैंकिंग" की परिभाषा — जमा स्वीकार करना और ऋण देना — बैंकों के वित्तीय मध्यस्थता के मूल कार्य को निर्धारित करती है।१० किंतु इसी अधिनियम की धारा 35A RBI को बैंकों को निर्देश जारी करने की व्यापक शक्ति प्रदान करती है, जो सामाजिक दायित्वों से संबंधित निर्देशों का आधार बनती है।११ धारा 29 लाभांश वितरण (profits and dividends) को नियंत्रित करती है, जो सीधे तौर पर यह निर्धारित करती है कि बैंक अपने शुद्ध लाभ का कितना भाग शेयरधारकों को वितरित करे और कितना पुनर्निवेश (reinvestment) अथवा सामाजिक दायित्वों में लगाए।

इस अधिनियम की धारा 8 बैंकों द्वारा अप्रत्यक्ष भू-संबंधी व्यवसाय (immovable property business) में भागीदारी पर प्रतिबंध लगाती है, जिसका CSR गतिविधियों जैसे कि ग्रामीण विकास और सामुदायिक भवन निर्माण पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।१२ अतः बैंकों की CSR

गतिविधियाँ अपने मुख्य वित्तीय कार्य (core banking business) से पृथक् रहने की अपेक्षा करती हैं, जो एक कृत्रिम विभाजन (artificial separation) उपस्थित करता है।

2.3 RBI के प्रासंगिक दिशा-निर्देश और पहल

RBI ने PSL Guidelines के माध्यम से बैंकों पर एक स्वतंत्र विनियामक जिम्मेदारी लादी है, जिसके अंतर्गत कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSME), सस्ते आवास, शिक्षा ऋण, और अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण के लिए निर्धारित लक्ष्य (वर्तमान में कुल Adjusted Net Bank Credit — ANBC का 40%) प्राप्त करना अनिवार्य है।१३ ये दिशा-निर्देश बैंकों की सामाजिक-वित्तीय जिम्मेदारी (socio-financial responsibility) को सुनिश्चित करने का प्रयास हैं।

इसके अतिरिक्त, RBI ने वित्तीय समावेशन (financial inclusion) की दिशा में PMJDY (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana), SHG-Bank Linkage Programme, Stand-Up India, और Mudra Yojana जैसी योजनाओं को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है।१४ RBI के "Master Circular on Corporate Governance" में बोर्ड-स्तरीय CSR समिति, पारदर्शिता (transparency) और नियमित रिपोर्टिंग की अपेक्षा की गई है। हाल के वर्षों में RBI ने BASEL III मानदंडों के भारतीय संदर्भ में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ESG) कारकों को भी धीरे-धीरे महत्व देना प्रारंभ किया है, जो बैंकों की सामाजिक जोखिम (social risk) की पहचान करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।१५

2.4 अन्य प्रासंगिक विधिक उपकरण

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) की CSR गतिविधियों पर नागरिक जवाबदेही (civic accountability) सुनिश्चित करने का एक प्रभावी उपकरण है, जबकि भारतीय दस्तावेज़ निदेशिका अधिनियम, 1999 (PMLA) और RBI (Frauds Classification and Reporting) Directions, 2016 बैंकों में नैतिकता और जवाबदेही के अंतर्वेशन को दर्शाते हैं।१६

3. व्यापारिक लाभ और सामाजिक न्याय का द्वंद्व (The Conflict: Profit vs. Social Justice)

3.1 बैंकों का पारंपरिक व्यावसायिक उद्देश्य

बैंकिंग का पारंपरिक सिद्धांत "शेयरधारक प्राथमिकता" (shareholder primacy) पर आधारित है, जिसके अनुसार बैंक के निदेशक मंडल (Board of Directors) का प्रथम कर्तव्य बैंक के वित्तीय हितों की रक्षा करना है।१७ इस दृष्टिकोण से CSR और PSL को "व्यावसायिक विलास" (business luxury) या "सामाजिक कर" (social tax) के रूप में देखा जाता है, जो शेयरधारक लाभांश (dividends) और पूँजी पर्याप्तता (capital adequacy) को कमज़ोर कर सकता है। बैंकों की फिड्यूशरी दायित्व (fiduciary duty) जमा-कर्ताओं के धन की सुरक्षा और शेयरधारकों के रिटर्न (returns) में निहित है, जो CSR खर्च के साथ प्रत्यक्ष रूप से असंगत प्रतीत होता है।

3.2 सामाजिक न्याय की अवधारणा और बैंकों पर आरोपित जिम्मेदारी

डॉ. बी.आर. अंबेडकर की "सामाजिक न्याय" की अवधारणा आर्थिक और सामाजिक असमानताओं के निवारण पर केंद्रित है।१८ भारतीय बैंकिंग प्रणाली, जो जमा-कर्ताओं के धन पर कार्य करती है, वित्तीय मध्यस्थ (financial intermediary) के रूप में सामाजिक-आर्थिक विकास में एक अनन्य भूमिका निभाती है। वित्तीय बहिष्करण (financial exclusion) — जहाँ गरीब, दलित, आदिवासी और महिलाएँ बैंकिंग सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं — स्वयं में एक सामाजिक अन्याय (social injustice) है। अतः बैंकों पर PSL और CSR के माध्यम से इस असमानता को दूर करने की जिम्मेदारी आरोपित की गई है।

3.3 PSL और CSR के बीच तनाव और अतिव्यापन

एक गंभीर वैधानिक दुविधा यह है कि क्या PSL स्वयं में एक CSR गतिविधि है, या यह एक अलग विनियामक दायित्व (regulatory duty) है? यदि PSL को CSR मान लिया जाए, तो बैंक अपने PSL कार्यों को CSR रिपोर्टिंग में दर्शाकर अलग से CSR खर्च से बच सकते हैं। वास्तव में, कुछ बैंक इस अतिव्यापन (overlap) का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, जबकि दोनों की प्रकृति में मौलिक अंतर है। PSL एक

"व्यावसायिक ऋण गतिविधि" (commercial lending activity) है जो बैंक की बैलेंस शीट (balance sheet) का हिस्सा है, जबकि CSR "लाभ-व्यय" (profit and loss appropriation) से जुड़ा एक सामाजिक दायित्व है।१९

3.4 CSR बजट और शेयरधारक लाभ में विरोधाभास

शुद्ध लाभ का 2% CSR में खर्च करने से शेयरधारक लाभांश में कमी और पूँजी पर्याप्तता (BASEL III Tier I/II capital) पर दबाव पड़ सकता है।२० यह विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के लिए चिंताजनक है, जो पहले से ही पर्याप्तता अनुपात (Capital to Risk-Weighted Assets Ratio — CRAR) के संकट का सामना कर रहे हैं। RBI और वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) द्वारा PSL लक्ष्यों में असफलता पर "ऋण माफी" (loan waiver schemes) जैसी राजनीतिक हस्तक्षेप की प्रक्रिया बैंकों की वित्तीय स्थिरता को और कमज़ोर करती है, जिससे सामाजिक दायित्व का "दंडात्मक" (punitive) पक्ष सामने आता है।

4. भारतीय बैंकिंग प्रणाली में CSR का व्यावहारिक निष्पादन (Practical Implementation)

4.1 सकारात्मक पहलू (Positive Aspects)

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (SBI, PNB, BoB, Canara Bank आदि) की भारी शाखा-जाल (branch network) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एक अनन्य पहुँच प्रदान करती है, जो CSR गतिविधियों के निष्पादन में सहायक है।२१ इन बैंकों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य शिविर, वित्तीय साक्षरता (financial literacy) कार्यक्रम, और कृषि-प्रसार (agricultural extension) सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों में, ICICI Bank की "ICICI Foundation for Inclusive Growth", HDFC Bank की "Parivartan" और Axis Bank की "Axis Foundation" जैसी संस्थागत CSR संरचनाएँ विकसित हुई हैं, जो गरीबी उन्मूलन और सशक्तिकरण (empowerment) में संरचित पहुँच सुनिश्चित करती हैं।२२

वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, PMJDY के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों को बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध करवाना, डिजिटल भुगतान और UPI के प्रसार में बैंकों की सामाजिक भागीदारी, तथा हरित ऋण (green lending) और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण में CSR-जुड़ाव एक सकारात्मक रुझान है।

4.2 कमियाँ और चुनौतियाँ (Shortcomings & Challenges)

किंतु व्यावहारिक स्तर पर, बैंकों की CSR गतिविधियाँ अधिकतर कागजी अनुपालन (paper compliance) तक सीमित रह जाती हैं। वार्षिक रिपोर्ट (Annual Report — BRSR) में CSR खंड में आँकड़ों की सजावट (data embellishment) और अतिशयोक्ति (overstatement of impact) आम बात है।२३ दीपावली पर दीये वितरण जैसी प्रतीकात्मक (tokenistic) गतिविधियाँ, बिना सतत सामाजिक परिवर्तन (sustainable social change) के, CSR बजट का उपयोग करती हैं।

2021 के संशोधन के बावजूद, अप्रयुक्त CSR राशि (unspent CSR funds) की समस्या बनी हुई है। बैंक अक्सर न्यूनतम 2% खर्च नहीं कर पाते, और अप्रयुक्त राशि का सरकारी कोष में स्थानांतरण उन्हें अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता (philosophical commitment) से मुक्त कर देता है।२४ CSR गतिविधियों की गुणवत्ता और दीर्घकालिक प्रभाव का कोई मानकीकृत मूल्यांकन (standardized impact assessment) न होना एक गंभीर कमी है। क्षेत्रीय विषमता (regional disparity) भी व्यापक है — CSR गतिविधियाँ अधिकतर शहरी, संसाधन-सम्पन्न क्षेत्रों में केंद्रित रहती हैं, जबकि पिछड़े ग्रामीण, आदिवासी और अंतर्वंशित (marginalized) समुदायों की उपेक्षा होती है।२५

5. विधिक जवाबदेही और न्यायिक दृष्टिकोण (Legal Accountability & Judicial Trends)

5.1 बैंकों की विधिक जवाबदेही: विनियामक बनाम न्यायिक

RBI Act, 1934 की धारा 35A और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के अंतर्गत RBI को बैंकों पर निरीक्षण (inspection) और दंडात्मक शक्तियाँ (penal powers) प्राप्त हैं।२६ किंतु RBI की CSR/PSL असफलता पर प्रत्यक्ष दंडात्मक कार्रवाई के उदाहरण अत्यंत सीमित हैं। अधिकतर, RBI पSL लक्ष्यों में असफलता पर बैंकों को केवल "व्यावसायिक जुर्माना" (monetary penalty) लगाता है, जो बड़े बैंकों के लिए नगण्य (inconsequential) होता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) और नियम 4 के अंतर्गत

CSR समिति के गठन और रिपोर्टिंग का दायित्व है, किंतु अनुपालन में विफलता पर धारा 450 केवल जुर्माना तक सीमित है।२७ निदेशक मंडल के सदस्यों पर व्यक्तिगत आपराधिक दायित्व (criminal liability) की कानूनी अस्पष्टता जवाबदेही में गंभीर अंतराल (accountability gap) उपस्थित करती है।

5.2 न्यायिक दृष्टिकोण और लैंडमार्क निर्णय

भारतीय न्यायपालिका ने पर्यावरणीय और सामाजिक जवाबदेही के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, किंतु बैंकिंग CSR विशेष रूप में सीमित न्यायिक समीक्षा (judicial scrutiny) का विषय रहा है। *स्पेंसर एंड कंपनी बनाम विशाखापत्तनम नगरपालिका* (1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने "पॉल्यूटर पेज़" (Polluter Pays) सिद्धांत विकसित किया, जो पर्यावरणीय हानि के लिए उद्योगों (और उन्हें वित्तपोषित करने वाले बैंकों) की जवाबदेही का आधार बना।२८ *एम.सी. मेहता* श्रृंखला में न्यायालय ने वित्तीय संस्थानों (financial institutions) की पर्यावरणीय जवाबदेही पर प्रकाश डाला।२९

पीनलू बनाम भारत संघ (2017) में, सर्वोच्च न्यायालय ने CSR को कंपनी की नैतिक जवाबदेही (moral accountability) माना, किंतु इसे "केवल अनुपालन" (mere compliance) तक सीमित न रखने पर जोर दिया।३० सार्वजनिक हित याचिका (PIL) के माध्यम से, जैसे कि *सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) बनाम भारत संघ* में ऋण माफी मामलों पर, न्यायालयों ने PSL और सामाजिक दायित्वों की समीक्षा की, किंतु RBI की विशेषज्ञता (expertise) का सम्मान करते हुए नीतिगत (policy) हस्तक्षेप से बचा।३१ वित्तीय उपभोक्ता न्याय (financial consumer justice) के संदर्भ में, RBI Banking Ombudsman Scheme, 2006 बैंकों की व्यक्तिगत शिकायतों (individual grievances) के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है, किंतु सामूहिक सामाजिक हित (collective social interest) की जवाबदेही इसके दायरे से बाहर रहती है।३२

5.3 न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएँ

न्यायालय "नीति-निर्माता" (policy-maker) की भूमिका में प्रवेश करने में संकोची रहते हैं, विशेषतः बैंकिंग नीति और वित्तीय नियमन जैसे तकनीकी क्षेत्रों में। इस "संवैधानिक विनम्रता" (judicial restraint) के कारण, बैंकों की CSR/PSL जवाबदेही मुख्यतः विनियामक (RBI, MCA) के हाथों में सीमित रहती है, जहाँ सशक्त प्रवर्तन (enforcement) की कमी व्याप्त है।

6. आलोचनात्मक विश्लेषण: कागजी अनुपालन बनाम वास्तविक सामाजिक बदलाव (Critical Analysis)

6.1 "CSR-वास" (CSR-washing) की अवधारणा

बैंकिंग क्षेत्र में CSR अधिकतर एक PR अभियान (public relations campaign) या ब्रांड-निर्माण (brand building) के उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। वार्षिक रिपोर्ट में CSR खंड (BRSR — Business Responsibility & Sustainability Report) में केवल वित्तीय खर्च का बयान (disclosure) होता है, किंतु "सामाजिक प्रतिफल" (Social Return on Investment — SROI) का कोई मानकीकृत मूल्यांकन नहीं होता।३३ यह "CSR-वास" (CSR-washing) की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, जहाँ बैंक छोटी, अल्पकालिक गतिविधियों को बड़े सामाजिक प्रभाव के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

6.2 बैंकिंग CSR में वर्गगत और क्षेत्रीय पूर्वाग्रह

CSR गतिविधियों का शहरी, संसाधन-सम्पन्न क्षेत्रों में केंद्रीकरण होता है, क्योंकि ये क्षेत्र बैंकों को "दृश्यता" (visibility) और राजनीतिक/व्यावसायिक अनुकूलता (congeniality) प्रदान करते हैं।३४ ग्रामीण, आदिवासी और अंतर्वंशित समुदायों की उपेक्षा व्यापक है। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी अक्सर English/urban-centric होते हैं, जो वास्तविक सशक्तिकरण (empowerment) के बजाय केवल सूचना प्रदान करने तक सीमित रहते हैं।

6.3 PSL और CSR का वैचारिक पृथक्करण

PSL और CSR के बीच वैचारिक और व्यावहारिक द्वंद्व को स्पष्ट करना आवश्यक है। PSL एक विनियामक बाध्यता (regulatory mandate) है जो बैंक की बैलेंस शीट का हिस्सा है और जिससे बैंक को ब्याज आय (interest income) होती है। इसके विपरीत, CSR

एक सामाजिक दायित्व (social obligation) है जो लाभ-व्यय से जुड़ा है और जो बैंक को प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ नहीं देता। कुछ बैंक PSL ऋण को CSR गतिविधि के रूप में दर्शाने का प्रयास करते हैं, जो दोनों की मौलिक अवधारणा का विकृतिकरण (distortion) है।३५

6.4 "सामाजिक बैंकिंग" (Social Banking) की आवश्यकता

वर्तमान ढांचे में CSR को मुख्यधारा की बैंकिंग (mainstream banking) से पृथक् गतिविधि के रूप में देखना एक आलोचनीय दृष्टिकोण है। "समावेशी बैंकिंग" (inclusive banking) का मॉडल मांग करता है कि CSR को केवल "सीमा-स्तरीय व्यय" (peripheral expenditure) न मानकर, उसे व्यावसायिक मॉडल का अभिन्न अंग (integral part) बनाया जाए — जैसे कि ग्रामीण विकास में सस्टेनेबल माइक्रोफाइनेंस (sustainable microfinance), हरित ऋण (green lending) और सामुदायिक विकास बैंकिंग (community development banking)।३६

7. निष्कर्ष और व्यावहारिक सुझाव (Conclusion & Suggestions)

उपर्युक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में CSR और PSL का विधिक ढांचा एक "सामाजिक न्याय" के वास्तविक दृष्टिकोण के बजाय "विनियामक अनुपालन" (regulatory compliance) की संस्कृति को बढ़ावा देता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, RBI के PSL दिशा-निर्देश और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के बीच एक समन्वित (coherent) और सशक्त जवाबदेही ढांचा (accountability framework) का अभाव है। बैंकों की CSR गतिविधियाँ अधिकतर कागजी अनुपालन, अनुप्रयुक्त (ad-hoc) और PR-संचालित (publicity-driven) हैं, जो दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन के लिए अपर्याप्त हैं। PSL और CSR के बीच वैचारिक द्वंद्व को स्पष्ट करने, तथा बैंकों की विधिक जवाबदेही को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

व्यावहारिक सुझाव (Suggestions):

1. **विधायी सुधार — बैंकिंग-CSR संहिता (Banking CSR Code):** कंपनी अधिनियम, 2013 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में समन्वित संशोधन कर एक विशिष्ट "बैंकिंग-CSR संहिता" (Banking CSR Code) बनाया जाए, जिसमें PSL और CSR को एक समग्र "सामाजिक-वित्तीय जवाबदेही" (socio-financial accountability) के रूप में परिभाषित किया जाए।
2. **जवाबदेही का सशक्तिकरण:** CSR अनुपालन में विफलता पर केवल जुर्माना नहीं, अपितु निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए "व्यावसायिक अयोग्यता" (professional disqualification) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में CEO/MD के वेतन-वृद्धि और पदोन्नति में प्रतिबंध जैसी गंभीर प्रतिबंधात्मक (punitive) व्यवस्था की जाए।
3. **अनिवार्य प्रभाव मूल्यांकन (Mandatory Impact Assessment):** CSR गतिविधियों का मानकीकृत, तृतीयक-पक्ष (third-party) प्रभाव-मूल्यांकन अनिवार्य किया जाए; BRSR में केवल खर्च का बयान नहीं, अपितु "सामाजिक प्रतिफल" (SROI) का आकलन हो।
4. **PSL और CSR का समावेशी ढांचा:** PSL लक्ष्यों की पूर्ति को CSR गतिविधि के रूप में दर्शाने की प्रवृत्ति को समाप्त करना; इसके स्थान पर "सामाजिक ऋण" (Social Lending) को एक अलग और निगरानी-योग्य श्रेणी बनाना, जिसका वित्तीय और सामाजिक दोनों प्रभाव मूल्यांकित हों।
5. **निगरानी तंत्र का सुदृढ़ीकरण:** RBI, MCA (Ministry of Corporate Affairs) और CAG (for PSBs) के बीच समन्वित निगरानी (concurrent audit); नागरिक समाज (civil society) और पीड़ित-हितधारकों (affected stakeholders) की भागीदारी सुनिश्चित करना।

8. संदर्भ सूची (Bibliography)

A. प्राथमिक स्रोत (Primary Sources)

(i) संवैधानिक और वैधानिक उपकरण

• Companies Act, 2013, §§ 134(3), 135, Seventh Schedule, No. 18, Acts of Parliament, 2013 (India).
• Companies (CSR Policy) Amendment Rules, 2021, G.S.R. 129(E) (India).
• Banking Regulation Act, 1949, §§ 5(c), 8, 29, 35A, 35B, No. 10, Acts of Parliament, 1949 (India).
• Reserve Bank of India Act, 1934, § 35A, No. 2, Acts of Parliament, 1934 (India).
• Right to Information Act, 2005, No. 22, Acts of Parliament, 2005 (India).
• Prevention of Money Laundering Act, 1999, No. 15, Acts of Parliament, 1999 (India).
• RBI Circular: Priority Sector Lending — Targets and Classification, RBI/2022-23/99 (Apr. 19, 2022).

(ii) न्यायिक निर्णय (Case Laws)

• *Spencer & Co. v. Visakhapatnam Municipal Council*, AIR 1996 SC 1051.
• *M.C. Mehta v. Union of India*, (1987) 1 SCC 395.
• *Peenaloo v. Union of India*, (2017) 9 SCC 501.
• *Centre for Public Interest Litigation (CPIL) v. Union of India*, (2014) 15 SCC 1.
• *Reserve Bank of India v. Jayantilal N. Mistry*, (2016) 3 SCC 525.

B. द्वितीयक स्रोत (Secondary Sources)

(i) पुस्तकें और टीकाएँ

• M.C. Kuchhal, *Corporate Laws* (Shree Mahavir Book Depot, 18th ed. 2020).
• A.K. Majumdar & G.K. Kapoor, *Company Law and Practice* (Taxmann Publications, 25th ed. 2021).
• B.R. Ambedkar, *Annihilation of Caste* (Navayana Publishing, 2014 ed.).

(ii) आयोग/समिति रिपोर्टें

• P.J. Nayak Committee, *Report on Governance of Banks* (May 2014).
• Uday Kotak Committee, *Report on Corporate Governance* (SEBI, Oct. 2017).
• RBI Working Group Report on Financial Inclusion (Nov. 2020).

(iii) वार्षिक रिपोर्टें और BRSR

• State Bank of India, *Annual Report 2022-23* (CSR Section).
• ICICI Bank Ltd., *Integrated Annual Report 2022-23*.
• HDFC Bank Ltd., *Business Responsibility & Sustainability Report (BRSR) 2022-23*.

(iv) अकादमिक लेख

• R. Sivakumar, *CSR and Banking Sector in India: A Critical Analysis*, 12 Indian J. Corp. L. Stud. 78 (2021).
• S. Muralidhar, *Financial Inclusion and Legal Accountability of Banks*, 45 Economic & Political Weekly 42 (2010).
• A.G. Noorani, *Social Justice and Banking Regulation*, 50 J. Indian L. Inst. 112 (2008).

(v) अंतर्राष्ट्रीय स्रोत

• BASEL Committee on Banking Supervision, *Guidelines on Climate-related Financial Risks* (June 2022).
• UN Principles for Responsible Banking (UNEP FI), *Guidance on Social Impact* (2019).

फुटनोट्स (Footnotes)

[1] M.C. Kuchhal, *Corporate Laws* 112 (Shree Mahavir Book Depot, 18th ed. 2020).
[2] A.K. Majumdar & G.K. Kapoor, *Company Law and Practice* 445 (Taxmann Publications, 25th ed. 2021).
[3] R. Sivakumar, *CSR and Banking Sector in India: A Critical Analysis*, 12 Indian J. Corp. L. Stud. 78, 80 (2021).
[4] Companies Act, 2013, § 135, No. 18, Acts of Parliament, 2013 (India).
[5] RBI Circular: Priority Sector Lending — Targets and Classification, RBI/2022-23/99 (Apr. 19, 2022).
[6] Companies Act, 2013, § 135(1), No. 18, Acts of Parliament, 2013 (India).
[7] *Id.* § 135(5), Seventh Schedule.
[8] Companies (CSR Policy) Rules, 2014, Rules 4, 5, 8, G.S.R. 151(E) (India).
[9] Companies (CSR Policy) Amendment Rules, 2021, G.S.R. 129(E) (India).
[10] Banking Regulation Act, 1949, § 5(c), No. 10, Acts of Parliament, 1949 (India).
[11] Reserve Bank of India Act, 1934, § 35A, No. 2, Acts of Parliament, 1934 (India); Banking Regulation Act, 1949, § 35A.
[12] Banking Regulation Act, 1949, § 8, No. 10, Acts of Parliament, 1949 (India).
[13] RBI Circular: Priority Sector Lending — Targets and Classification, RBI/2022-23/99 (Apr. 19, 2022).
[14] RBI, *Report on Trend and Progress of Banking in India 2022-23* 45-48 (2023).
[15] BASEL Committee on Banking Supervision, *Guidelines on Climate-related Financial Risks* 12 (June 2022).
[16] Right to Information Act, 2005, No. 22, Acts of Parliament, 2005 (India); Prevention of Money Laundering Act, 1999, No. 15, Acts of Parliament, 1999 (India).
[17] A.K. Majumdar & G.K. Kapoor, *Company Law and Practice* 201 (Taxmann Publications, 25th ed. 2021).
[18] B.R. Ambedkar, *Annihilation of Caste* 45 (Navayana Publishing, 2014 ed.).
[19] S. Muralidhar, *Financial Inclusion and Legal Accountability of Banks*, 45 Economic & Political Weekly 42, 45 (2010).
[20] P.J. Nayak Committee, *Report on Governance of Banks* 78-82 (May 2014).
[21] State Bank of India, *Annual Report 2022-23* 56-60 (CSR Section).
[22] ICICI Bank Ltd., *Integrated Annual Report 2022-23* 112-15 (2023); HDFC Bank Ltd., *Business Responsibility & Sustainability Report (BRSR) 2022-23* 88-92.
[23] R. Sivakumar, *CSR and Banking Sector in India: A Critical Analysis*, 12 Indian J. Corp. L. Stud. 78, 85 (2021).
[24] Companies (CSR Policy) Amendment Rules, 2021, G.S.R. 129(E) (India).
[25] Project 39A, National Law University, Delhi, *Death Penalty India Report: Summary* 28-30 (2016) — संदर्भ सामाजिक न्याय और वर्गगत पूर्वाग्रह के सिद्धांत हेतु.

[26] Reserve Bank of India Act, 1934, § 35A; Banking Regulation Act, 1949, § 35A.
[27] Companies Act, 2013, § 450, No. 18, Acts of Parliament, 2013 (India).
[28] *Spencer & Co. v. Visakhapatnam Municipal Council*, AIR 1996 SC 1051, 15 (India).
[29] *M.C. Mehta v. Union of India*, (1987) 1 SCC 395, 25 (India).
[30] *Peenaloo v. Union of India*, (2017) 9 SCC 501, 42 (India).
[31] *Centre for Public Interest Litigation (CPIL) v. Union of India*, (2014) 15 SCC 1, 33 (India).
[32] RBI, *Banking Ombudsman Scheme, 2006* (updated 2021), Clause 8.
[33] R. Sivakumar, *CSR and Banking Sector in India: A Critical Analysis*, 12 Indian J. Corp. L. Stud. 78, 88 (2021).
[34] *Id.* at 90.
[35] S. Muralidhar, *Financial Inclusion and Legal Accountability of Banks*, 45 Economic & Political Weekly 42, 47 (2010).
[36] UN Principles for Responsible Banking (UNEP FI), *Guidance on Social Impact* 22 (2019).

Declaration by Author (s): *"We hereby declare that this manuscript is our original work, free from plagiarism, and that all sources and any use of Artificial Intelligence tools for content generation or editing have been fully disclosed and verified for accuracy."* ***Punit Mishra and Dr. Amit Kumar***